

## प्रेस नोट दिनांक 29.08.2020

### इटावा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर भडकाऊ एवं सम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने वाले पोस्ट करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व सरकार विरोधी पोस्ट करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

#### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 29.08.2020 को सुबह चौकी प्रभारी टीटी उ०नि० श्री विवेक कुमार की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर एक अभियोग मु०अ०सं० 474/20 धारा 295ए, 153बी/सी, 505(2) भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें बताया गया था कि शिवा मिश्रा उर्फ दिव्यांशु पुत्र संदीप उर्फ गुड्डू नि० घटिया मिश्रान करनपुरा थाना कोतवाली द्वारा अपने फेसबुक अकाउन्ट से अपनी प्रोफाइल पर सम्प्रदाय विशेष के विरुद्ध व धार्मिक भावनाओं को भडकाने वाली पोस्ट व राज्य सरकार विरोधी पोस्ट प्रकाशित की जा रही है जिससे क्षेत्र में बैमन्यता को बल मिल रहा है तथा जनता में आक्रोश परिलक्षित हो रहा है।

जनपद इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशानुसार सोशल मीडिया सेल व साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म की निगरानी की जा रही है उसी क्रम में उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न साक्ष्य संकलित करते हुए अभियुक्त को बाइस ख्वाजा रोड से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा जा रहा है।

**नोट—** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में इटावा पुलिस की सोशल मीडिया व साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म की लगातार निगरानी की जा रही है अतः सभी को कृपया अवगत कराना है कि सोशल मीडिया आदि पर अनावश्यक पोस्ट शेयर या पोस्ट न करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा करने वाले के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अम्ल में लायी जाएगी।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम—

1. शवा मिश्रा उर्फ दिव्यांशु पुत्र संदीप उर्फ गुड्डू नि० घटिया मिश्रान करनपुरा थाना कोतवाली

**पुलिस टीम—** श्री बचन सिंह सिरोही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, उ०नि० श्री रामप्रताप सिंह मय टीम।

सोशल मीडिया  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद इटावा।